आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **विविध पुनरीक्षण 44 / 2014** **धोन्दे उरांव बनाम् जीतू कच्छप** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–15–R15/2012-13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपर समाहर्त्ता द्वारा लगानवाद उप समाहर्त्ता सदर के अनुमति वाद संख्या–1617–R8(ii)/2010-11 में पारित आदेश को रद्द करते हुये ग्राम–सपारोम, खाता नम्बर–182, प्लॉट–716, रकबा–15 डिसमिल भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत् वाद को दिनांक–22.08.2017 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। उक्त तिथि के पश्चात् से ही आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। विपक्षी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं। आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–21.02.2022, 19.05.2022, 09.06.2022 को लगातार मौके दिये गये, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः विपक्षी को सुना गया तथा उभयपक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक सप्ताह का समय दिया गया। मात्र विपक्षी द्वारा ही लिखित बहस दायर की गयी। अपर समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–18.02.2013 को आदेश पारित किया गया था, जबकि यह पुनरीक्षण दिनांक–16.12.2014 को दायर किया गया है। इस विलम्ब के लिये आदेश की एवं कानून की जानकारी नहीं होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु स्पष्टतः यह समुचित नहीं है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् दायर किया गया है। निम्न् न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश देखने से यह स्पष्ट होता है कि लगानवाद उप समाहर्त्ता के न्यायालय में आवेदकों के पक्ष को सुना गया	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	था एवं विस्तृत समीक्षा के पश्चात् यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि आवेदक पंजी–2 रैयत से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। खतियान में संतोष उरांव व जीतू उरांव, पिता–चन्दा उरांव व रति उरांव, पिता–युथे उरांव का नाम दर्ज है। आवेदक के पिता का नाम रतिया उरांव है तथा वे भीम उरांव के पुत्र–धोन्दे उरांव के पुत्र बताये गये हैं, किन्तु इस वंशावली को सत्यापित नहीं किया जा सका। लगानवाद उप समाहर्त्ता द्वारा भूमि बिक्री के आवेदन न्यायोचित घोषित किया गया, किन्तु आदेश के अंतिम पंक्तियों में बिक्री की अनुमति के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा अपने ही निष्कर्ष के प्रतिकूल अंतिम आदेश पारित किया गया। अपर समाहर्त्ता द्वारा पुनः इस विषय पर समीक्षा के उपरान्त पंजी–2 में रतिया उरांव का नाम दर्ज नहीं होने के कारण आवेदकों को दावे को अस्वीकृत कर दिया एवं भूमि के बिक्री हेतु अनुमति निर्गत कर दी गयी। मुख्य विषय रति उरांव, पिता–युथे उरांव एवं रतिया उरांव, पिता–धोन्दे उरांव के एक ही व्यक्ति होने के बिन्दु पर केन्द्रीत है। आवेदकों के इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, ऐसे स्थिति में उन्हें प्रश्नगत् भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.14 17:37:47 +05:30
Location: 192.168.1.35